

## कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 25.09.2021

### अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—

#### 01. थाना खोड़ारे द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. छेदी बनिया पुत्र मुन्नालाल नि० ग्राम घारीघाट थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—१४०/२१, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 02. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. ओम प्रकाश पुत्र तिलक राम नि०ग्रा० परसुरामपुर मौजा पिपरा भिटौरा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०—२२३/२१, धारा 60/60(2) आबकारी अधि०, 02. सुशीला पत्नी बडकऊ नि० गढ़ी थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 05 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—२२४/२१, 03. बेचनलाल पुत्र ज्वाला प्रसाद नि० पठानपुरवा मौजा मतवरिया थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—२२५/२१, 04. विजय कुमार पुत्र स्व० शिवदास नि०ग्रा० टेढिया मौजा गढवलिया थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०—२२७/२१, धारा 60/60(2) आबकारी अधि०, 05. फूला देवी पत्नी कंधई नि०ग्राम दनौवा मौजा बिरवा बम्नी थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—२२८/२१, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 03. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रामचन्द्र पुत्र द्वारिका नि० ग्राम नकछेदपुरवा जिगना थाना को० मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—२९०/२१, 02. पंचम पुत्र कियालाल नि० कटहर बुटहनी थाना को० मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—२९१/२१, 03. गुड़िया पत्नी निरंजन नि० नकछेद पुरवा जिगना बाजार थाना को० मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—२९२/२१, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 04. थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. कमला पत्नी अनूप नि० ग्राम दुल्हापुर थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—२२४/२१, 02. गिरधारी पुत्र बिशेसर नि० ग्राम दुल्हापुर थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—२२५/२१, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 05. थाना को० देहात द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. सबिता पत्नी स्व० लल्लू नि० ललहा मौजा गोपियापुर थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—३६०/२१, 02. बुद्धिराम पुत्र ध्रुपत नि० ग्राम बरुई गोदहा थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर

मु0अ0सं0—361 / 21, 03. निककू उर्फ दुर्गा प्रसाद पुत्र सोमई नि0 ग्राम परसापुर मौजा डडवा कानूनगो थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—362 / 21, 04. रामपाल पुत्र छम्मे लाल नि0 सुभागपुर डीहवा थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—363 / 21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 25.09.2021**

**थाना मोतीगंज ने नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार—**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना मोतीगंज पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त अमरलाल उर्फ बबलू को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मोतीगंज में आम्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त—**

01. अमरलाल उर्फ बबलू पुत्र लालबहादुर नि0 केवलापुरा मौजा पड़ारन थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु0300सं0—231/21, धारा 4/25 आम्स एक्ट थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

**बरामदगी—**

01. 01 अदद नाजायज चाकू।

**गिरफ्तार कर्ता—**

01. है0का0 गोपीनाथ यादव।

02. का0 राहुल चौहान।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 25.09.2021**

**थाना इटियाथोक ने नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार—**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध शास्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना इटियाथोक पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त यासीन को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना इटियाथोक में आम्स एकट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त—**

01. यासीन पुत्र करीम बख्शा नि0 धर्मई थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु0अ0सं0-329/21, धारा 4/25 आम्स एकट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

**बरामदगी—**

01. 01 अदद नाजायज चाकू।

**गिरफ्तार कर्ता—**

01. हे0का0 अभिमन्यु गुप्ता।  
02. का0 संजीव वर्मा।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 25.09.2021**

**विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी/देशी शराब के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तारः—**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये गए अभियान में अवैध शराब के निर्कर्ण/भण्डारण, बिक्री व परिवहन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे। जिसके अनुक्रम में थाना धानेपुर पुलिस को अवैध अंग्रेजी/देशी शराब बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है।

आज दिनांक 25.09.2021 को थाना धानेपुर पुलिस देखभाल क्षेत्र भ्रमण में रवाना थी कि मुख्यबिर खास की सूचना पर पृथ्वीपालगंज ग्रन्ट स्थित एक परचून की दुकान से बिना लाइसेंस के अवैध अंग्रेजी/देशी शराब की बिक्री करते हुए 01 अभियुक्त नीरज कुमार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी/देशी शराब किया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि वह थोक मात्रा में अंग्रेजी/देशी शराब खरीद कर रंगीन द्रव्य के साथ मिलावट कर अपने आर्थिक लाभ हेतु उसे अधिक दामों में लोगों को बिक्री करता है।

**गिरफ्तार अभियुक्त—**

01. नीरज कुमार पुत्र हीरालाल गुप्ता नि0 पृथ्वीपालगंज ग्रन्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोगः—**

01. मु0अ0सं0—226 / 21, धारा 420 भादवि व 60 आबकारी अधि0 थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

**बरामदगीः—**

01. 04 पौव्वा इम्पीरियल ब्लू।
02. 10 केन बियर किंगफिशर।
03. 66 पौव्वा रंगीन द्रव्य भरे व मसालेदार देशी शराब।

**गिरफ्तार कर्ता टीम—**

थानाध्यक्ष शेषमणि त्रिपाठी मय टीम।